संख्या-06/2019/जी-2- 531 /दस-2019

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 22 अगस्त, 2019

विषय- उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विकलांग जन विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1326/65-1-2014-380/9, दिनांक 13 नवम्बर, 2014 द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) कर्मचारियों, जिन्हें अब दिव्यांगजन की संज्ञा दी गयी है, को अपने कार्य स्थल (कार्यालय) आने तथा वापस जाने में होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों तथा शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के राजकीय विद्यालय, मूक तथा बधिर राजकीय विद्यालय तथा राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालयों के शारीरिक रूप से अक्षम कोटि के प्रधानाध्यापकों/ प्रधानाध्यापिकाओं तथा अध्यापकों/अध्यापिकाओं को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया था।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उपर्युक्त राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों को इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व के शासनादेशों में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) विभिन्न विभागों में नियुक्त दिव्यांगजन कर्मियों को अपने कार्यस्थल पर आने तथा वापस जाने हेतु :-

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल	दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से अनुमन्य दरें (रू0 प्रतिमाह)	पुनरीक्षित दरें (रू0 प्रतिमाह)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	लेवल-1 (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 1800)	450.00	600.00
2	लेवल-2 से लेवल-5 तक (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 1900, 2000, 2400 एवं 2800)	600.00	800.00
3	लेवल-6 एवं अधिक (अपुनरीक्षित ग्रेड पे रू0 4200)	750.00	1000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के राजकीय विद्यालय, मूक तथा बधिर राजकीय विद्यालय तथा राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालयों के शारीरिक रूप से अक्षम कोटि के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं तथा अध्यापकों/अध्यापिकाओं हेतु :-

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल	दिनांक **01** नवम्बर, **2014** से अनुमन्य दरें (रू0 प्रतिमाह)	पुनरीक्षित दरें (रू**0** प्रतिमाह)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका	750.00	1000.00
2	अध्यापक/अध्यापिका	600.00	800.00

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

संख्या-06/**2019/जी-2- 531(1) /दस-2019, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) I एवं II तथा आडिट-I एवं II, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
5. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।